



उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग

'विद्युत नियामक भवन' निकट आई.एस.बी.टी., पो0ऑ0-माजरा, देहरादून
PH. 0135-2641115 Website www.uerc.uk.gov.in E-mail- secy.uerc@gov.in

विस्तार सूचना

Draft UERC (Ancillary Services) Regulations, 2026 पर सुझाव आमंत्रण विषयक।

विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 181 सपठित धारा 86(1) की उपधारा (1) के खण्ड (h) एवं (i) के अधीन प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त सामर्थ्यधारी अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयोग द्वारा Draft UERC (Ancillary Services) Regulations, 2026 [उविनिआ (सहायक सेवाएं) विनियम, 2026] जारी किया गया है। प्रारूप विनियम आयोग की वेबसाइट www.uerc.uk.gov.in में अपलोड किया गया था तथा उक्त पर सभी स्टैकहोल्डर्स से टिप्पणियां/सुझाव/आपत्तियां दिनांक 03.07.2026 तक आमंत्रित किये गये थे।

- निर्धारित तिथि तक आयोग को किसी भी प्रकार की टिप्पणियां/सुझाव/आपत्तियां प्राप्त नहीं हुई हैं। अतः आयोग ने टिप्पणियां/सुझाव/आपत्तियां प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि **20.07.2026** तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। तदनुसार, टिप्पणियां/सुझाव/आपत्तियां आयोग के विचारार्थ **20.07.2026** तक अधोहस्ताक्षरी को डाक, ई-मेल अथवा व्यक्तिगत रूप से उपरोक्त पते पर प्रस्तुत की जा सकती हैं।
- निर्धारित तिथि के उपरान्त प्राप्त सुझावों/आपत्तियों/प्रतिवेदनों पर प्रारूप संशोधित विनियम को अन्तिम रूप देते समय, आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।